संख्याः 1639 / 33–3–2015–03 / 2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः 19 जून, 2015

विषयः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की कतिपय संस्तुतियां लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्नवत् मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण करने की अनुमति प्रदान करते हैः–

<u>1– पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला–</u>

1.1 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 40:10:50 के अनुपात में किया जायेगा।

1.2 उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का बटवारा क्षेत्र पंचायतों के मध्य 80:20 के सिद्धान्त से किया जायेगा। इस सिद्धान्त में 80 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति की संख्या को भार देते हुए किया जायेगा।

1.3 जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बटवारा जनपद की ग्राम पंचायतों के मध्य 80:20 के सिद्धान्त को अपनाते हुए अर्थात 80 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा।

[illegible] पंचायत द्वारा सड़कों तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख–रखाव [illegible] आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि व्यय किये जाने तथा अपने सभी [illegible]चारियों / अधिकारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान करने का [illegible]माण–पत्र उपलब्ध कराने पर ही राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संक्रमण की जाने वाली धनराशि की द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।

<u>2– संक्रमित की जाने वाली धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक सिद्धान्त–</u>

2.1 ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख–रखाव को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की 50 प्रतिशत तक की धनराशि को ग्राम पचांयतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अध्यावधिक किया जायेगा। अन्तरण की

धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों यथा– पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गो, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव करने में सक्षम होगी। शेष धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेगें। नये निर्माण कार्यो में सी0सी0 रोड/खड़ण्जा/ नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य नागरीक सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जायेगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की कार्ययोजना सहायक विकास अधिकारी(पं0) को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। बिना कार्य योजना के ग्राम पंचायत कोई कार्य नहीं करायेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष कराये जाने वाले कार्ययोजना का विवरण सहायक विकास अधिकारी (पं0) कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं0) की होगी।

2.2 पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण, अध्ययन, भ्रमण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय के लिए ग्रामीण निकायों हेतु प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत की जायेगी। यह मात्राकृत धनराशि व्यपगत (लैप्स) या व्यावर्तित (डाइवर्ट) नही होगी।

2.3 ग्राम पंचायतों के लिए संक्रमित की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष किये गये प्रत्येक कार्य का प्रगति विवरण आनलाइन एम0आई0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा तथा एक कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त कार्य की समस्त जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी(पं0) की होगी। इस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित ग्रामीण निकायों द्वारा ही वहन किया जायेगा। धनराशि का मात्राकरण तथा मदों का निर्धारण निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 द्वारा शासन की अनुमति से किया जायेगा।

2.4 पंचायतों को संकमित धनराशि के दुरूपयोग होने पर संबंधित निकाय के अध्यक्ष/प्रधान, प्रमुख आदि के विरूद्ध कार्यवाही राज्य के अधिनियमों एवं नियमावलियों (ग्राम प्रधान के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं ब्लाक प्रमुख के संबंध में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार तथा सम्बन्धित निकाय के सचिव, जो कि शासकीय कर्मी हैं, के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2.5 क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशुचिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यो/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यो पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात उसका अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगी। कराये गये प्रत्येक कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग करायी

जायेगी तथा एक कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त का पूर्ण दायित्व सचिव, क्षेत्र पंचायत का होगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रथमतः सहायक विकास अधिकारी(पं0) कार्यालय तथा ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों की सुरक्षा के दृष्टिगत एक अभिलेखागार का निर्माण क्षेत्र पंचायत कार्यालय परिसर में कराया जायेगा, उसके उपरान्त ही क्षेत्र पंचायतें अन्य निर्माण कार्य करा सकेंगी।

2.6 **आडिट अनुशासन के लिए संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से 10 प्रतिशत रोकना–**

वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु सभी पंचायतों के मध्य वितरित होने वाली धनराशि का 10 प्रतिशत भाग रोकते हुए शेष उपर्युक्त मानक के आधार पर निकायों के मध्य वितरित की जायेगी। उक्त रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि को भी उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर वितरित किया जायेगा लेकिन उसके लिए वही ग्रामीण निकाय पात्र होगी जिसके द्वारा एक वर्ष पूर्व तक के अपने लेखों का आडिट करा लिया गया है। जैसे ही कोई निकाय निर्धारित आडिट एजेन्सी का आडिट प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देती है उसे उसकी रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। **एक मार्च** तक आडिट प्रमाण पत्र शासन को न प्राप्त होने पर रूकी हुई धनराशि अन्य पात्र निकायों के मध्य उनके निर्धारित अंशो के अनुपात में बॉट दी जायेगी। डिफाल्टर निकायों का 10 प्रतिशत अंश उनके लिए लैप्स हो जायेगा। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2015–16 के लिए निकायों के मध्य वितरण करते समय वर्ष 2013–14 तक के लेखों का आडिट कराया जाना पात्रता की शर्त होगी, जिसके लिए दिनांक 01 मार्च, 2016 तक आडिट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

I. जिला पंचायतों को संकमित की जाने वाली धनराशि में से जिला पंचायत के कर्मियों के वेतन एवं पेंशन अंश को छोड़कर, 25 प्रतिशत भाग अनुरक्षण पर व्यय किया जायेगा।

II. 5 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत की परिसम्पत्तियों के रख–रखाव एवं सृजन पर व्यय की जायेगी।

III. जिला पंचायतों द्वारा अपने लेखों का प्रत्येक वर्ष आडिट कराया जायेगा तथा आडिट प्रस्तर का अनुपालन 3 वर्षो में सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। जिला पंचायतें अपने समस्त लेखों को प्रिया साफ्ट पर अपलोड करेगी। इस हेतु प्रत्येक जिला पंचायत के प्रतिवर्ष संक्रमित होने वाली धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि शासन स्तर पर रोकी जायेगी व जिन जिला पंचायतों द्वारा समयान्तर्गत उक्त शर्तों के कम में आडिट सुनिश्चित नहीं कराया जायेगा या प्रिया साफ्ट में सम्पूर्ण पोस्टिंग नहीं की जायेगी, उनको इस प्रकार रोके गये 10 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया जायेगा। दोषी जिला पंचायतों की उक्तानुसार रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि उन जिला पंचायतों में वितरित की जायेगी जो उक्त शर्तों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

3– त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्मान एवं सुविधायें–

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 1113/33–2–2006– 34जी/01टी0सी–11 दिनांक 20 मार्च, 2006 एवं शासनादेश सं0:6368/33–

2–2006–34जी /2001 टी0सी–11 दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 तथा शासनादेश सं0:02/33–2– 2014–34जी/01टी0सी–11 दिनांक 07 जनवरी, 2014 प्रभावी रहेगा। पंचायतों के पदाधिकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत क्रमशः अपनी गांव निधि, क्षेत्र निधि तथा जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन कर सकेंगी तथा इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटित नही किया जायेगा।

4– उक्त विषयक पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें। कृपया राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही धनराशियों के उपभोग के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5– ये आदेश वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्याः–एफ0सी0 यू0ओ0–28/दस–2015 दिनांक 19 जून,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

पत्रांकः 1639 /33–1–2015 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
4– आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6– निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
7– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
12– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
13– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
14– समस्त जिला कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15– समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0), उत्तर प्रदेश।
16– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
17– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
18– वित्त (संसाधन) आयोग अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
19– पंचायतीराज अनुभाग– 1/2

आज्ञा से

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।